

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक.....

संख्या-7/पी-1-305/95सा0प्र0...../महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-16383 दिनांक 28.02.2018 के द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में संयुक्त सचिव (विधि), निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु श्री संपूर्णानन्द तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दानापुर की सेवा निगरानी विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक सौंपी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/पी-1-305/95सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (दो प्रतियों में) को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/पी-1-305/95सा0प्र0..... 4057...../पटना-15, दिनांक... 26-3-18.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-16383 दिनांक 28.02.2018 के प्रसंग में/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4810 दिनांक 21.11.2017 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना/श्री संपूर्णानन्द तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दानापुर/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
26-3-18